

नियम 16 : अपने आप से रजिस्ट्रीकरण

- (1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और **जीएसटी आरईजी-12** में एक आदेश जारी कर सकेगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील दाखिल करने में विफल हो जाता है, ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व उठाने वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

- (4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को लागू होंगे।
- (5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।